

26/11/17

दिनांक 21-8-17 को कार्यालयीय के राय स्तर पर
साप्ताहिक अवकाश पर टोक पर पत्रावली का पत्र पेश हुई।

राज पीठासीन अधिकारी...
र है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...
को पेश हो।

25/10/17

वकील उम्मादत उद्योग जवाब पार्श्व पत्र को
लगाया है। पत्रावली वाले जवाब पार्श्व पत्र
दिनांक 27/11/17 को पेश है।

27.11.17

पत्रावली पेश हुई। जवाब प्राप्ति पर लगी
बंद छुटी गयी। वस्तु विस्तारण दिनांक
30.11.17 को पेश है।

30.11.2017

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में प्राप्त जवाब का
अवकाश करके पर प्राप्त हुआ कि प्रतिवादी सरकारी
कार की वस्तु 30/10/2016 को ही हो चुकी है, वस्तु
RTA 188, तथा 92A का है जिसमें फाइल में प्रमाणित
न करने का रिवाज चला गया है। अंतिम प्रतिवादी
की वस्तु हो चुकी थी तथा वाद दाखल करने से पूर्व
ही अर्ज की वस्तु हो चुकी थी, वाद को चलाते जा
कोई खार नहीं है। पत्रावली खारिज हो कर निर्वाह
की जाती है। वाद तत्पश्चात् हो कर नंबर से 5 महीने
निर्णय करे अज्ञान सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर